



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

पाँच अपराधियों के विरुद्ध की गयी गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही

दिनांक:-30.09.2021

पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा जनपद में गिरोह बनाकर आर्थिक व भौतिक लाभ के लिये अपराध करने में अभ्यस्त अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है।

जिसके क्रम में थाना कोतवाली नगर व रामपुर कलां द्वारा लूट व हत्या जैसे अपराध में संलिप्त कुल 05 अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की गयी है। संलिप्त अभियुक्तगण की अपराध से अर्जित सम्पत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही अलग से की जाएगी। विस्तृत विवरण निम्नवत् है-

थाना कोतवाली नगर

विवरण:-

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा लूट जैसे अपराध में लिप्त 02 अभियुक्तगण 1.मो0 फहीम पुत्र रईश उर्फ बब्लू पंखे वाले नि0 मो0 नई आबादी गदियाना थाना कोतवाली नगर 2.शुभम प्रजापति पुत्र श्रीकेशन नि0 दुर्गापुरवा थाना कोतवाली नगर सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 445/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में दोनों अभियुक्त जेल में निरुद्ध हैं। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 445/21 धारा 2/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

- 1.मो0 फहीम पुत्र रईश उर्फ बब्लू पंखे वाले नि0 मो0 नई आबादी गदियाना थाना कोतवाली नगर
- 2.शुभम प्रजापति पुत्र श्रीकेशन नि0 दुर्गापुरवा थाना कोतवाली नगर, सीतापुर

अभियुक्त मो० फहीम व शुभम उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 352/21 धारा 307/452/394/411 भादवि थाना कोतवाली नगर, सीतापुर।
2. मु०अ०सं० 445/21 धारा 2/3 उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम थाना कोतवाली नगर सीतापुर

थाना रामपुर कलां

विवरण:-

थाना रामपुर कलां पुलिस द्वारा हत्या जैसे अपराध में लिप्त 03 अभियुक्तगण 1. भानू प्रताप पुत्र दयाराम 2. दयाराम पुत्र लल्लू यादव 3. गीता पत्नी भानू प्रताप सर्व निवासीगण ग्राम कोरार थाना रामपुर कलां जनपद सीतापुर के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध गैंग चार्ट अनुमोदित कराकर थाना रामपुर कलां पर मु०अ०सं० 258/21 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम पंजीकृत किया गया है। वर्तमान में अभियुक्त भानू प्रताप व दयाराम जेल में निरुद्ध हैं। अपराधियों के विरुद्ध नियमानुसार निरोधात्मक कार्यवाही की जाएगी।

पंजीकृत अभियोग- मु०अ०सं० 258/21 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर

अभियुक्तगण का नाम/पता-

1. भानू प्रताप पुत्र दयाराम निवासी ग्राम कोरार थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
2. दयाराम पुत्र लल्लू यादव निवासी ग्राम कोरार थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर
3. गीता पत्नी भानू प्रताप निवासी ग्राम कोरार थाना रामपुर कला जनपद सीतापुर

अभियुक्त भानू प्रताप, दयाराम व गीता का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 288/20 धारा 302 भादवि थाना रामपुर कलां सीतापुर।
2. मु०अ०सं० 258/21 धारा 2(b)(i)/3(1) उ०प्र० गैंगेस्टर अधिनियम थाना रामपुर कलां सीतापुर